Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री / टी.ए. / 3280 / 2002 / अलवर

1– अर्जुन सिंह पुत्र चांदूसिंह, जाति लवाना सिख पेशा जमीदारा साकिन दोंगडा तहसील किशनगढवास जिला अलवर।
2– रणजीत सिंह पुत्र चांदूसिंह, निवासी ग्राम दोंगडा तहसील किशनगढवास जिलाा अलवर।

.....अपीलान्टस

बनाम

1– किंगरिया पुत्र जगदेव मेव साकिन दोंगडा।
2– चन्द्रभान पुत्र अमरनाथ, जाति राजपूत निवासी खानपुर मेवान तहसील किशनगढवास जिला अलवर।
3– बच्चू पुत्र नेनू जाति मेव निवासी ग्राम दोंगडा।
4– सिरदारा पुत्र नेनू, जाति मेव निवासी दोंगडा तहसील किशनगढवास जिला अलवर।
5– सन्ता पुत्र नेनू मेव निवासी दोंगडा।
6– मु. मल्ली बेवा नेनू मेव निवासी दोंगडा।
7– मु. रेशमा पुत्री नेनू मेव निवासी दोंगडा।
8– सुन्दरी पुत्री नेनू मेव निवासी ग्राम दोंगडा।
तहसील किशनगढवास जिला अलवर।

.....रेस्पोन्डेन्टस

खण्ड–पीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री विजय कुमार सोनी, सदस्य

उपस्थितः–

श्री सतवीर सिंह, अभिभाषक अपीलान्ट
श्री अयूब खान) अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
श्री शशिकान्त जोशी)

दिनांक : 12 मार्च, 2018

निर्णय

1– यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा–224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व प्राधिकारी, अलवर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–3–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है,

अपील डिक्री / टी.ए. / 3280 / 2002 / अलवर
अर्जुन सिंह आदि बनाम किंगरिया आदि

जिसके द्वारा विद्वान अपील प्राधिकारी ने अपने समक्ष जैरकार अपील संख्या–70/01 शीर्षक अर्जुनसिंह आदि बनाम किंगरिया आदि को खारिज किया है।

2– द्वितीय अपील के संक्षिप्त तथ्यानुसार वादी / अपीलान्टस ने एक दावा संख्या–407/99 (पुराना नम्बर–285/85) अन्तर्गत धारा–88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, शीर्षक अर्जुन सिंह आदि बनाम किंगरिया आदि, न्यायालय सहायक कलेक्टर, किशनगढवास के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि तहसील किशनगढवास के ग्राम दोंगडा के साबिका साबिका खसरा नम्बर–537 रकबा 1.01 बीघा हाल खसरा नम्बर–940 रकबा 0.11 हेक्टेयर (जिसे निर्णय में विवादग्रस्त भूमि कहा गया है) वादीगण / अपीलान्ट के पिता चांदूसिंह को **RAJASTHAN LAND REVENUE (Permanent Allot. of Evacuee Agricultural Land) Rules, 1963** (जिसे निर्णय में सश्पित नाम नियम–1963 कहा गया है) के तहत आवंटित की गयी थी। आवंटन की पालना में आवंटन सनद प्रदर्श–4 दिनांक 10–11–1970 को तहसीलदार किशनगढवास द्वारा जारी कर दी गयी। जिसके आधार पर **Record of Right** में वादी / अपीलान्ट के पिता का नाम अंकित हो गया। जमाबन्दी संवत 2019 से 2022 प्रदर्श–6 अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय की पत्रावली पर है। परन्तु जमाबन्दी संवत 2038 में विवादग्रस्त भूमि में से 10 बिस्वा भूमि का अंकन प्रतिवादी संख्या–2 / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 के नाम से बतौर खातेदार तथा 0.01 बीघा भूमि बतौर गैर खातेदार अंकित कर बकाश्त प्रतिवादी संख्या–1 / रेस्पोन्डेन्ट संख्या–1 किंगरिया की दर्ज कर दी। विवादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या–1 व 2 ने अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। इसलिये दावा स्वीकार किया जाकर वादी / अपीलान्ट को विवादग्रस्त भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा विवादित भूमि का कब्जा दिलवाया जावे। दावे का प्रतिवादी ने जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। विद्वान उप खण्ड अधिकारी ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 6 तनकी बनाई। तनकी अनुसार निर्णय करते हुये अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–4–2001 के द्वारा वादी / अपीलान्ट का दावा खारिज कर दिया। विद्वान सहायक कलेक्टर, किशनगढवास के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–4–2001 से व्यथित होकर वादी / अपीलान्ट ने प्रथम अपील संख्या–70/01 शीर्षक अर्जुनसिंह आदि अनाम किंगरिया आदि, न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के प्रस्तुत की। विद्वान अपील प्राधिकारी ने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–3–2002 के द्वारा अपील को खारिज कर दिया। विद्वान सहायक, किशनगढवास के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 4–4–2001 तथा विद्वान भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22–3–2002 से व्यथित होकर यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

अपील डिक्री / टी.ए. / 3280 / 2002 / अलवर
अर्जुन सिंह आदि बनाम किंगरिया आदि

3– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की मुख्य बहस यह है कि प्रदर्श–5 आवंटन सनद संख्या–1646 (73) दिनांक 30–8–1973 से यह निर्विवाद है कि विवादग्रस्त भूमि का आवंटन नियम–1963 के तहत वादी / अपीलान्ट के पिता चांदूसिंह को किया गया था। जमाबन्दी संवत 2019 से 2022 प्रदर्श–6 से यह निर्विवाद साबित है कि Record of Right वादी / अपीलान्ट के पिता चांदूसिंह का नाम अंकित किया गया है। एक दफा किसी भूमि का आवंटन कर दिया जावे तथा उसका अंकन राजस्व रिकार्ड में हो जावे तथा पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड में पूर्ववर्ती अंकन को सक्षम न्यायालय द्वारा समाप्त करने के पश्चात ही दूसरे व्यक्ति का नाम अंकित किया जा सकता है। जमाबन्दी संवत 2038 में प्रतिवादी संख्या–1 व 2 का नाम किस सक्षम अधिकारी द्वारा अंकित किया गया है, कहीं भी साबित नहीं है। राजस्व रिकार्ड में किया गया अंकन जब अन्यथा साबित कर दिया जावे तो शुन्य है। दूसरे अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी नम्बर–1 व 3 का निर्णय राजस्व रिकार्ड के विपरीत किया है। नियम–1963 के नियमों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम लागू होते हैं। नियम–1963 के नियमों के तहत आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–88 के तहत प्राप्त किये जा सकते हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विपरीत होने के कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है। वादी / अपीलान्ट का दावा संख्या–407/99 (पुराना नम्बर–285/85) स्वीकार किये जाने योग्य है।

5– इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट की मुख्य बहस यह है कि जो भूमि नियम–1963 के तहत आवंटित की जाती है, उस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। इसी आधार पर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी नम्बर–1 का निर्णय पारित किया है जिसमें निर्णित किया गया है कि खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने का क्षेत्राधिकार सम्बन्धित तहसीलदार को है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध समवर्ती रूप से पारित किये गये हैं जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6– उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपील डिक्री / टी.ए. / 3280 / 2002 / अलवर
अर्जुन सिंह आदि बनाम किंगरिया आदि

7- विवादग्रस्त भूमि का आवंटन नियम-1963 के तहत किया जाना दावा में बताया गया है। नियम-1963 अपने आप में Self Containted नियम है। आवंटन एवं खातेदारी अधिकार देने का प्रावधान नियमों में दिया गया है। नियम-1963 के नियम अपने आप में एक विशेष प्रावधान है। **Administration of Evacuee Property Act, 1950** के तहत जो भूमि **Evacuee property** घोषित की जाती है, उस भूमि के स्थाई आवंटन, खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नियम-1963 के तहत ही दिया गया है। राजस्व न्यायालयों को नियम-1963 के तहत किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने तनकी नम्बर-1 का निर्णय इसी आधार पर किया है कि खातेदारी अधिकार देने का कार्य नियम-1963 के नियम-7 के तहत तहसीलदार को प्रदत्त है। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तनकी का निर्णय वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध किया है। वादी / अपीलान्ट यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि नियम-1963 के तहत आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार राजस्व न्यायालय प्रदत्त करने में सक्षम है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती रूप से वादी / अपीलान्ट के विरूद्ध पारित किये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। धारा-224 राजस्थान कातश्कारी अधिनियम का क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है। समवर्ती निर्णयों में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है। इसलिये अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजय कुमार सोनी)
सदस्य

(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष

अपील डिक्री / टी.ए. / 3280 / 2002 / अलवर

अर्जुन सिंह आदि बनाम किंगरिया आदि